संख्या-329/2017/1945/22-2-2016-17(56)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 28 अप्रैल, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री महावीर निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री महावीर, निवासी-सुबशीखेडा, थाना-महाराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 23/24.05.2000 की रात्रि लगभग 01.00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अवैध सम्बन्धों में चन्द्रपाल व बंशदेई की देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1289/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 12.11.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च नयायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2013 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2016 तक 15 वर्ष 09 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अवैध सम्बन्धों में चन्द्रपाल व बंशदेई की देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 38 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गम्भीरता दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री महावीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम प्रसाद (बन्दी संख्या-16938) श्री महावीर निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-329/2017/1945(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-329/2017/1945/22-2-2016-17(56)/2017

दिनांक 28 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री महावीर, निवासी-सुवंशीखेडा, थाना-महाराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 23/24.05.2000 की रात्रि लगभग 01.00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अवैध सम्बन्धों में चन्द्रपाल व बंशदेई की देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1289/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 12.11.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च नयायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2013 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2016 तक 15 वर्ष 09 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अवैध सम्बन्धों में चन्द्रपाल व बंशदेई की देशी कट्टा से गोली मारकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 38 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री महावीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in